न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रशासन गांव के संग अभियान—2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत हिण्डोली

वाद संख्या:— 01 / प्रा0पत्र / 2020

1. सत्यनारायण आयु 35 वर्ष आ0 नन्दलाल जाति गुर्जर निवासी हुवालिया, तहसील हिण्डोली, जिला—बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. सूरजमल आ0 नंदलाल जाति गुर्जर निवासी हुवालिया, तहसील हिण्डोली, जिला—बून्दी
2. लक्ष्मण आ0 नंदलाल जाति गुर्जर निवासी हुवालिया, तहसील हिण्डोली, जिला—बून्दी
3. रूपां बैवा पत्नी नंदलाल जाति गुर्जर निवासी हुवालिया, तहसील हिण्डोली, जिला—बून्दी
4. पांची पुत्री नंदलाल जाति गुर्जर निवासी हुवालिया, तहसील हिण्डोली, जिला—बून्दी
5. गीता पुत्री नंदलाल जाति गुर्जर निवासी हुवालिया, तहसील हिण्डोली, जिला—बून्दी
6. राज0 राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :— 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता — श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थी — पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :— 08 / 12 / 2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1484 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 1485 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम पगारां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या 3195 / 1484 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, 3196 / 1485 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम पगांरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी सत्यनारायण का उपरोक्त दोनों जमाबंदी में अधूरा नाम लिखा हुआ है। प्रार्थी का नाम नारायण न होकर सत्यनारायण है। प्रार्थी के पिता का नाम भी नंदलाल के स्थान पर नन्दा दर्ज कर रखा है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में प्रार्थी का नाम सत्यनारायण दर्ज है तथा पिता का नाम नंदलाल दर्ज है लेकिन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का नाम नारायण दर्ज कर रखा है तथा पिता का नाम नंदा दर्ज कर रखा है जो उक्त इन्द्राज गलत है जिसको दुरूस्त किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

सत्यनारायण पिता नंदलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 के पिता नन्दलाल के तीन पुत्र सत्यनारायण, सूरजमल व लक्ष्मण है व दो पुत्रिया पांची व गीता है एंव अप्रार्थी संख्या 3 रूपां उनकी बैवा पत्नी है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण की माता है। नन्दलाल के नारायण नाम का अन्य कोई पुत्र नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी अपनी उक्त भूमि पर कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहा है। प्रार्थी का नाम नारायण गलत दर्ज हो रहा है। प्रार्थी का नाम सत्यनारायण है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत पगारां द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी के पिता नंदलाल के नाम को भी राजस्व रिकोर्ड में नंदा के रूप में दर्ज कर रखा है जबकि नंदा अधूरा–अपूर्ण नाम है। प्रार्थी के पिता का पूरा नाम व सही नाम नन्दलाल है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में पिता का नाम नंदलाल दर्ज है। केवल राजस्व रिकोर्ड में राजस्व कर्मचारियों ने नंदलाल के स्थान पर केवल नंदा दर्ज कर दिया है जो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है। प्रार्थी सत्यनारायण का नाम राजस्व रिकोर्ड में नारायण दर्ज होने व पिता नंदा दर्ज होने व अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात में सत्यनारायण पिता नंदलाल दर्ज होने से राजस्व रिकोर्ड में भी अन्य सरकारी दस्तावेजात के अनुरूप इन्द्राज को सही किया जाना आवश्यक है। इन्द्राज गलत होने के कारण प्रार्थी अपनी आराजी पर सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पा रहा है।. प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकोर्ड में नारायण के स्थान पर सत्यनारायण व पिता नंदा के स्थान पर नंदलाल दर्ज करवावें। प्रार्थी ने राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नारायण व नंदा के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने दिनांक 15.11.2019 को उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया और न्यायालय के आदेश के बिना इन्द्राज दुरूस्त करने से इंकार कर देने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। भूमि ग्राम पगांरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1484, 1485 व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 3195 / 1484, 3196 / 1485 वाके ग्राम पगारां के राजस्व रिकोर्ड में नारायण के स्थान पर सत्यनारायण व पिता नंदा के स्थान पर नंदलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर इन्द्राज दुरूस्त करने की आज्ञा प्रदान फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामिल / सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 13.02.2020 को दिये गये। पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 केम्प पगांरा में पेश हुई। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पत्र क्रमांक :– 570 / राजस्व / 2021 दिनांक 22.11.2021 से मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा जाकर पत्रावली केम्प हिण्डोली

में नियत करने की प्रार्थना की गई। पत्रावली वास्ते बहस केम्प हिण्डोली में दिनांक 08.12.2021 को पेश हों।

पत्रावली कैम्प हिण्डोली में पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बहस सुनी जाकर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण है व पिता का नाम नंदलाल है जबकि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियो में प्रार्थी व उसके पिता का नाम नारायण व नंदा अंकित हो रहा है जिसे सही कर प्रार्थी का नाम सत्यनारायण व पिता का नाम नंदलाल शुद्व दर्ज किया जावें। दौरान केम्प पगांरा में उपस्थित मोतबीर व्यक्तियों ने प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण व पिता का नाम नंदलाल होना अवगत कराया है साथ ही तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा रिपोर्ट में भी प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम सत्यनारायण पिता नंदलाल होना अंकित किया है।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड कमांक 547478503228, परिवार राशन कार्ड कमांक 367 ग्राम पंचायत पगारां, बैक खाता पासबुक बैक ऑफ बडौदा खाता संख्या 09310100012310, प्रमाण पत्र सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पगांरा दिनांक 18.11.2021 में प्रार्थी का नाम सत्यनारायण व पिता का नाम नंदलाल अंकित है एवं दोराने केम्प प्रस्तुत मजमेआम रिपोर्ट से प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण व पिता का नाम नंदलाल होना जाहिर आया है, जबकि खाता संख्या 101 व खाता संख्या 221 ग्राम पगारां सम्वत 2072 से 2075 में प्रार्थी व पिता का नाम नारायण पिता नंदा अंकित है, जिसे विलोपित कर प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण व पिता का नाम नंदलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 101 व खाता संख्या 221 ग्राम पगारां सम्वत 2072 से 2075 पटवार मण्डल पगांरा में दर्ज प्रार्थी का नाम नारायण पिता नंदा के अंकन को विलोपित कर प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम सत्यनारायण पिता नंदलाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 शिविर मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत हिण्डोली में सरेआम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)